



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

31 मार्च 2023

**अप्रैल से जून 2023 तिमाही के लिए**  
**राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा **₹1,99,950 करोड़** रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह	प्रस्तावित तारीख	उधार की प्रत्याशित मात्रा (₹ करोड़ में)	राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि (₹ करोड़ में) की पुष्टि की है	
अप्रैल 2023	5 अप्रैल 2023	3000	आंध्र प्रदेश	3000
	11 अप्रैल 2023	22500	आंध्र प्रदेश	2000
			असम	1000
			छत्तीसगढ़	1000
			गोवा	100
			हरियाणा	2000
			केरल	2000
			महाराष्ट्र	2500
			मिज़ोरम	100
			नागालैंड	300
			पंजाब	2500
			राजस्थान	2000
			तमिलनाडु	1000
			तेलंगाना	2000
उत्तराखंड	500			
उत्तर प्रदेश	3500			
18 अप्रैल 2023	13800	आंध्र प्रदेश	1000	

			गोवा	100
			गुजरात	1000
			हरियाणा	2000
			जम्मू और कश्मीर	800
			मध्य प्रदेश	2000
			महाराष्ट्र	2000
			मेघालय	200
			पंजाब	1000
			राजस्थान	1000
			तमिलनाडु	1000
			तेलंगाना	1000
			उत्तराखंड	700
			25 अप्रैल 2023	18900
असम	800			
छत्तीसगढ़	1000			
गोवा	100			
गुजरात	1500			
हरियाणा	2000			
मध्य प्रदेश	2000			
महाराष्ट्र	2500			
पंजाब	1000			
राजस्थान	1000			
तमिलनाडु	2000			
तेलंगाना	1000			
उत्तर प्रदेश	3000			
मई 2023	2 मई 2023	14700	आंध्र प्रदेश	2000
			असम	700
			गुजरात	1500
			केरल	2000
			महाराष्ट्र	2000
			पंजाब	2000
			राजस्थान	1000
			तमिलनाडु	2000
उत्तराखंड	500			

			पश्चिम बंगाल	1000
	9 मई 2023	7700	आंध्र प्रदेश	1000
			हरियाणा	1000
			जम्मू और कश्मीर	600
			महाराष्ट्र	2000
			मिज़ोरम	100
			पंजाब	1000
			तमिलनाडु	1000
			तेलंगाना	1000
	16 मई 2023	11500	आंध्र प्रदेश	1000
			असम	700
			गोवा	200
			केरल	1000
			महाराष्ट्र	2000
			मेघालय	100
			पंजाब	500
			राजस्थान	1000
			तमिलनाडु	1000
			तेलंगाना	1000
			उत्तर प्रदेश	2000
	पश्चिम बंगाल	1000		
	23 मई 2023	19000	आंध्र प्रदेश	2000
			छत्तीसगढ़	1000
			गोवा	100
			गुजरात	1500
			हरियाणा	1000
			मध्य प्रदेश	2000
			महाराष्ट्र	2000
			नागालैंड	150
			पंजाब	500
			राजस्थान	1000
			सिक्किम	250
			तमिलनाडु	3000
	उत्तर प्रदेश	2000		

	30 मई 2023	21600	पश्चिम बंगाल	2500
			आंध्र प्रदेश	2000
			गोवा	100
			गुजरात	1500
			हरियाणा	1000
			केरल	1500
			मध्य प्रदेश	2000
			महाराष्ट्र	2000
			पंजाब	2000
			राजस्थान	2000
			तमिलनाडु	2000
			तेलंगाना	1500
			उत्तर प्रदेश	2000
पश्चिम बंगाल	2000			
जून 2023	6 जून 2023	11750	आंध्र प्रदेश	1000
			असम	500
			हिमाचल प्रदेश	1000
			जम्मू और कश्मीर	1000
			महाराष्ट्र	2000
			पंजाब	500
			राजस्थान	1000
			सिक्किम	250
			तमिलनाडु	1000
			तेलंगाना	1500
			त्रिपुरा	300
			उत्तराखंड	700
			पश्चिम बंगाल	1000
	13 जून 2023	13900	आंध्र प्रदेश	1000
			गोवा	100
			गुजरात	2000
			हरियाणा	2000
			केरल	1000
			महाराष्ट्र	2000
			मेघालय	200

			मिज़ोरम	100
			पंजाब	500
			तमिलनाडु	3000
			उत्तर प्रदेश	2000
	20 जून 2023	18000	आंध्र प्रदेश	1000
			गोवा	100
			गुजरात	1000
			मध्य प्रदेश	2000
			महाराष्ट्र	2000
			पुडुचेरी	200
			पंजाब	700
			राजस्थान	2500
			तमिलनाडु	3000
			तेलंगाना	1500
			उत्तर प्रदेश	2000
			पश्चिम बंगाल	2000
	26 जून 2023	23600	आंध्र प्रदेश	2000
			छत्तीसगढ़	1000
			गोवा	100
			गुजरात	1000
			हरियाणा	1000
			केरल	500
			मध्य प्रदेश	2000
			महाराष्ट्र	2000
			पंजाब	500
			राजस्थान	2500
			तमिलनाडु	4000
			तेलंगाना	2000
			उत्तर प्रदेश	2000
			पश्चिम बंगाल	3000
	<b>कुल</b>	<b>1,99,950</b>		<b>1,99,950</b>

उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के

अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1951

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक